न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर जिला धौलपुर

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 साधना शर्मा, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या 134 / 2015 जी0सी0एम0एस:–2015 / 00148

रोशनलाल पुत्र छोटेलाल जाति कोली निवासी भैंसाख तहसील व जिला धौलपुर

––––––––––वादी

बनाम

1. करूआ उर्फ राजेश पुत्र गोपाल जाति कोली निवासी भैंसाख तहसील व जिला धौलपुर हाल निवासी पुराना हाउसिंग बोर्ड गोपालपुरा मुरैना म0प्र0
2. पप्पू । पुत्रगण गोपाल जातिगण कोली निवासी भैंसाख तह. व जिला मुरैना
3. मनोज । हाल तुस्सीपुरा स्टेशन के पास माहौर चौराहा मुरेना म0प्र0
4. जमुनो पुत्री गोपाल पत्नि मोहन सिंह जाति कोली निवासी भैंसाख हाल आबाद खंदौली तहसील व जिला आगरा उ0प्र0
5. राधा पुत्री गोपाल पत्नि राजेश जाति कोली निवासी भैंसाख हाल ग्राम गुलाबली तहसील बसेडी
6. मंगल सिंह पुत्र वंशी जाति कोली निवासी भैंसाख तहसील व जिला धौलपुर
7. अंगूरी पुत्री वंशी पत्नि नखरू जाति कोली निवासी भैंसाख हाल बाबडी के खारे कुआ के पास बाडी
8. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार धौलपुर ।

–– प्रतिवादीगण

दावा वास्ते स्वत्व घोषणा,
स्थाई निषेधाज्ञा व दुरूस्ती इन्द्राज अधीन
राज0 काश्तकारी अधि0।

उपस्थिति–श्री सुरेश कटारा एडवोकेट ––वादी की ओर से

दिनांक 21/03/2025

निर्णय

वादी की ओर से वाद पत्र इन तथ्यो के साथ प्रस्तुत किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 423 रकवा 08 विस्वा बाके ग्राम भैंसाख तहसील व जिला धौलपुर में स्थित है। विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार वंशी पुत्र गोली एंव करूआ उर्फ राजेश, पप्पू, जमुनो पिसरान गोपाल मनोज राजा पिसरान गोपाल नाबालिग वसरपरस्ती भाई करूआ उर्फ राजेश जाति कोली

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज0)

निवासीगण भैंसाख तहसील व जिला धौलपुर थे व मौके पर काबिज थे। विवादित आराजी में से वंशी पुत्र गोली ने 1/2 भाग करूआ उर्फ राजेश, पप्पू, जमुनो पिसरान गोपाल बालिग, मनोज, राधा पिसरान गोपाल नाबालिग व सरपरस्ती भाई स्वंय करूआ उर्फ राजेश पुत्र गोपाल जाति कोली निवासी भैंसाख ने 1/2 भाग अपने खातेदारी अधिकार जरिये रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 12.08.2002 को विक्रय कर दिए। मौके पर कब्जा वादी को करा दिया। भूमि का बेचान रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा किये जाने के बाद भी विक्रेताओं का नामा0 नही खोला जा सका। वंशी पुत्र गोली ने विक्रय के बाद उक्त विवादित आराजी को पंजाब नेशनल बैंक में दिनांक 16.10.2003 को रहन रख दिया। राजस्व रिकॉर्ड में रहन का इन्द्राज हो गया। इसलिए वादी के नाम नामा0 नही हुआ। रहन मुक्त नामा0 406 दिनांक 0.09.2010 को हो चुका है। करीब 07 साल पूर्व वंशी का देहान्त हो चुका है। वंशी के उत्तराधिकारीगण प्रतिवादी संख्या 06व 7 है, ने राजस्व अभिलेख में इन्द्राज करा लिया। वादी ने प्रतिवादीगण से 02 माह पूर्व इन्द्राज दुरूस्ती के लिए राजस्व अभियान में कराने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण ने साफ मना कर दिया। अतः दावा वादी डिक्री किया जाकर वादी को विवादित आराजी ख.सं. 423 बाके ग्राम भैसांख का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा विवादित आराजी पर वर्तमान इन्द्राज को लोपित कर वादी के नाम खातेदार का राजस्व अभिलेख में इन्द्राज किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण का जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से श्री जितेन्द्र राजपूत एडवोकेट ने तथा प्रतिवादी संख्या 6 व 7 की ओर से श्री निशान्त भार्गव एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। शेष प्रतिवादीगण की ओर से बावजूद तामील कोई उपस्थित नही। अतः उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से कोई जवाब दावा पेश नही किया तथा प्रतिवादी संख्या 06 व 7 की ओर से जवाब दावा पेश किया प्रतिवादी संख्या 06 व 7 ने जवाब दावा में प्रमुख तौर पर अंकित किया कि वंशी ने कभी कोई वयनामा नही किया है। वादी की जालसाजी इसी से प्रमाणित है कि इतने लम्बे अर्से तक तथा वंशी के जीवित रहने तक नामा0 की कार्यवाही नही की तथा वादी का विवादित आराजी पर कब्जा नही है।

वादी के वादपत्र तथा प्रतिवादी संख्या 06 व 7 के जवाब के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गईः—

1. आया विवादित आराजी में प्रतिवादी नं0 1 लगायत 5 व प्रतिवादी संख्या 6 व 7 का पूर्व पुरूष खातेदार काश्तकार थे, मौके पर काबिज थे। दिनांक 12.08.2002 को जरिये रजिस्टर्ड वयनामा वादी को विक्रय कर दिया मौके पर कब्जा प्रदान कर दिया।

   ————————वादी

2. आया वंशी पुत्र गोली ने विक्रय के बाद बैंक में रहन कर दिया रहन का इन्द्राज हो गया। रहन मुक्ता हो चुकी है। वादी के नाम नामा0 नही हो सका।

   ————————वादी

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज0)

3. आया वंशी की मृत्यु के बाद उसके वारिसान के नाम नामा0 हो गया। इससे दावा पर क्या प्रभाव है।

——————वादी

4. आया वादी विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित कराने का अधिकारी है तथा राजस्व अभिलेख में इन्द्राज कराने का अधिकारी है।

————————वादी

5. आया वादी प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द करा पाने का अधिकारी है।

——————————————वादी

6. आया विवादित आराजी पर वादी का कब्जा नही है इसका वाद पर क्या प्रभाव है।

————————प्रतिवादी

तत्पश्चात् प्रतिवादी संख्या 01, 6 व 7 की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ। अतः उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

वादिया की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में नकल वयनामा प्रदर्स—1, जमाबंदी वर्ष 2006 प्रदर्स—2, नामा0सं0 268 ग्राम भैंसाख प्रदर्स—3, नामा0 संख्या0 प्रदर्स—4, जमाबंदी प्रदर्स—5, नकल नामा0संख्या 253 ग्राम भैंसाख प्रदर्स—6,नकल जमाबंदी प्रदर्स—7, नकल जमाबंदी प्रदर्स—8, नकल जमाबन्दी प्रदर्स—9 पेश किए। मौखिक साक्ष्य में वादी एंव गवाह मोहन सिंह व रामखिलाडी का शपथ पत्र व बयान वादी पी0डव्लू0—1, वयान मोहन सिंह पीडव्ल्यू 2 एंव वयान रामखिलाडी पीडब्ल्यू—3 दर्ज कराये।

विद्वान वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादी ने बहस के दौरान वादपत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 एंव प्रतिवादी संख्या 06 व 07 के पिता वंशी से विवादित आराजी को जरिये रजिस्टर्ड वयनामा क्रय किया है। वयनामा के गवाहन को न्यायालय के समक्ष पेश कर साक्ष्य कराई गई है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 ने वाद को कन्टेस्ट नही किया है तथा प्रतिवादी संख्या 06 व 7 ने जवाब दावा प्रस्तुत करने के वाद जवाब को सिद्ध करने के लिए न्यायालय में उपस्थित नही हुए है। प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजी एंव मौखिक साक्ष्य के आधार पर दावा वादी डिक्री किया जावे।

वादी के विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनने एंव पत्रावली का अवलोकन कर मनन के उपरान्त प्रकरण में तनकीवार विवेचन निम्नानुसार हैः—

तनकी संख्या 01ः—

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। पत्रावली पर वादीगण की ओर से प्रस्तुत जमाबंदी संवत् 2059—2062 प्रदर्स—5 के मुताबिक इस प्रकरण में विवादित आराजी के खातेदार करूआ उर्फ राजेश पप्पू पुत्रगण जमुना, राधा, रिक्की पुत्रीयान गोपाल नाबा हि0ब0 1/2 हि0 वंशी पुत्र गोली हि0 1/2 जाति कोली सा.देह खातेदार दर्ज था। रिक्की पुत्री गोपाल के नावालिग विला शादी फौत होने से नामा0 संख्या 268

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज0)

प्रदर्स–3 विरासतन करूआ उर्फ राजेश, पप्पू, मनोज नावा0,पुत्रान जमुनो, राधा नावा0 पुत्रियान पि0 गोपाल नाबालिग सरपरस्ती भाई करूआ उर्फ राजेश भाई वहिस्सा बराबर कौम कोली शेष बदस्तूर रहा स्वीकार हुआ है। पत्रावली पर उपलब्ध वयनामा प्रदर्स–1 के मुताबिक वंशी पुत्र गोली, करूआ उर्फ राजेश, पप्पू, जमुनो पुत्रगण व पुत्री स्व. गोपाल व मनोज उम्र 14 साल, राधा उम्र 12 साल पुत्रगण स्व. गोपाल नावालिगान सरपरस्ती भाई स्व. करूआ उर्फ राजेश जाति कोली निवासी भैंसाख द्वारा ख.नं. 423 वाक ग्राम भैंसाख द्वारा रोशनलाल पुत्र श्री छोटेलाल जाति कोली निवासी ग्राम भैंसाख तहसील व जिला धौलपुर के नाम जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान किया है। उक्त वयनामा के गवाहन द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 5 तथा 6 व 7 के पूर्व पुरूष वंशी द्वारा वादी को विक्रय पत्र से प्रकरण में विवादित आराजी को बेचना व कब्जा वादी को मौखिक साक्ष्य में स्वीकार किया गया है। अतः यह तनकी बहक वादी तय की जाती है।

तनकी संख्या 02:–

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। वादी की ओर से नामा0 संख्या 271 दिनांक 08.01.03 प्रदर्स–4 पेश किया है। जिससे विदित आराजी का वंशी पुत्र गोली जाति कोली सा.देह खातेदार राहिन पंजाब नेशनल बैंक धौलपुर सिटी मुर्तहिन तथा जमाबंदी संवत् 2063–2066 ग्राम भैंसाख प्रदर्स–7 तथा जमाबंदी संवत पेश की है जिसमें विवादित आराजी के रहन के पंजाब नेशनल बैंक शाखा धौलपुर शहर मुर्तहन के इन्द्राज हो रहे है। अतः विवादित आराजी के बैंक में रहन का इन्द्राज होना सिद्ध है तथा जमाबंदी संवत् 2071 ग्राम भैंसाख प्रदर्स–9 में विवादित आरजी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड हे तथा रहन के इन्द्राजात नही है। जिससे स्पष्ट है कि विवादित आराजी रहन मुक्त हो चुकी है परन्तु वादीगण के नाम नामा0 नही हुआ है। अतः यह तनकी इसी अनुसार बहक वादी निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 03:–

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2070 –74 ग्राम भैंसाख प्रदर्स–9 में प्रतिवादी संख्या 6 व 7 का नाम बतौर खातेदार दर्ज है। वादी के विद्वान अभिभाषक की ओर से प्रस्तुत नजीर आरआरसी 1999 बजरंग बनाम कालूराम पेज 291 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि भूमि का बेचान कर दिये जाने के उपरान्त खातेदार के पास कोई अधिकार नही रहते है। अतः यह तनकी बहक वादी निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 04:–

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। तनकी संख्या 01 के विवेचन अनुसार प्रकरण में विवादित आराजी प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 तथा प्रतिवादी संख्या 06 के पूर्व पुरूष वंशी पुत्र गोली की खातेदारी की आराजी होना सिद्ध है तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 05 तथा प्रतिवादी संख्या 06 के पूर्व पुरूष वंशी पुत्र गोली द्वारा वादी के हक में वयनामा किया जाना प्रदर्स– 1 तथा वयनामा के गवाहन की मौखिक साक्ष्य से सिद्ध होता है। अतः वादी दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के आधार पर विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित कराने का अधिकारी है।

तनकी संख्या 05:–

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज0)

तनकी संख्या 04 के विवेचन अनुसार वादी विवादित आराजी में खातेदारी अधिकार घोषित कराने का अधिकारी है। तथा खातेदार अपनी खातेदारी की आराजी में प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द करा पाने का अधिकारी है। अतः यह तनकी बहक वादी निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 06:—

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था परन्तु प्रतिवादीगण जवाब दाबा पेश करने उपरान्त अपने कथनों को सिद्ध करने के लिए न्यायालय में उपस्थित नही हुए है। अतः यह तनकी विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णीत की जाती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादी डिक्री किया जाकर वादी को विवादित आराजी खसरा नम्बर 423 रकवा 08 विस्वा वाके ग्राम भैंसाख तहसील व जिला धौलपुर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में हो रहे इन्द्राजों को लोपित कर उक्तानुसार दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिए जाते है।

निर्णय आज दिनांक 21/3/2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 साधना शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज.)